

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड




(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

e-mail- ds.02b@uppcl.org



संख्या: 349-आ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०२४-प्रोन्नति(०२ब) / २०२४-२५

दिनांक : 18/12/2024

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री राधा किशन (अभिरोक्त सं-2015059, सैप आई०डी०-11001545, वरिष्ठता क्रमांक-8731) (गृह जनपद-मिर्जापुर) (सेवानिवृत्ति तिथि-31.05.2038), सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-2, इटावा अन्तर्गत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंग को अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नत कर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंग को आवंटित किया जाता है।

- 2- परिषदादेश संख्या 1849-का.वि.नि./रा.वि.प.-29/97-14काविनी/87, दिनांक 8 अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री राधा किशन को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री संजय सागर (अभिरोक्त सं-2015060, सैप आई०डी०-11000460, वरिष्ठता क्रमांक-8732) की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि 12.03.2024 से अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नत माने जाते हुये प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
- 3- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।
- 4- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं-2900-प्रशि०-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 5- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।
- 6- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- 7- कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं-2777-ज०श० प्र०सु० ऐवु प्रशि०-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में प्रोन्नत उपरोक्त अधिकारी की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
- 8- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।


अध्यक्ष

संख्या: 349(1)आ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०२४ तद॒दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, बाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

- 4— समर्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०द्रा०का०लि० ।
- 5— मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ ।
- 6— समर्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०द्रा०का०लि० ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ ।
- 8— उप सचिव, ज०श० प्रशि० एवं प्रशा०सु० / गोपन / अ०प्र०—(०३ / ०४) / अ०प्र०—०७ उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ ।
- 9— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 10— उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी / प्रोन्त अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (०२ब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन (ई—मेल—ds.02b@uppccl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई—मेल—ao.vctanlckha@uppccl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- 11— सम्बन्धित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल / नोटिस बोर्ड ।

आज्ञा से,

 (राकेश कुमार यादव)
उप सचिव (०२ब)